भारत-सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 123 जिसका उत्तर
बृहस्पतिवार, 05 दिसम्बर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है

अन्तर्देशीय जल उपकरणों में सुधार

123 . श्रीमती वसन्ती स्टान्लीः

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा भारत में अन्तर्देशीय जल उपकरणों में सुधार के लिए क्या कदम उठाया गया हैं; और

(ख) वाणिज्यिक रूप से ये किस हद तक सफल है?

उत्तर
पोत परिवहन मंत्री
(श्री मिलिंद देवरा)

(क) उन जलमार्गों का विकास और विनियमन संघ सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया गया है। अन्य जलमार्गों के विकास का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है । निम्नलिखित पाँच जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जा चुका है :

1) 1986 में एनडब्ल्यू- 1 के रूप में घोषित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया-1620 कि0मी0)।
2) 1988 में एनडब्ल्यू-2 के रूप में घोषित असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया-891 कि0मी0)।
3) 1993 में एनडब्ल्यू-3 के रूप में घोषित केरल राज्य में उद्योग मंडल और चम्पाकारा नहरों के साथ-साथ पश्चिम तट नहर(कोट्टापूरम-कोल्लम) (205कि0मी0)।
4) 2008 में एनडब्ल्यू-4 के रूप में घोषित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और पुडुचेरी संघ-राज्य क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ-साथ काकीनाडा-पुडुचेरी नहरें(1078 कि0मी0)।
5) 2008 में एनडब्ल्यू-5 के रूप में घोषित पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदियों सहित समेकित पूर्वी तट नहर(588 कि0मी0)।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नौवहन और नौचालन के लिए वर्ष के अधिकांश भाग के लिए लक्षित गहराई और चौड़ाई के साथ नौगम्य जलमार्ग, दिन और रात के समय नौचालन के लिए सहायता उपकरण, जलयानों को घाट पर लगाने और उनके लदान/उतराई के लिए चुनिंदा स्थलों पर स्थायी /प्लवमान टर्मिनल तथा कुछ चुनिंदा स्थलों पर अंतर रीत्यात्मक संपर्क उपलब्ध करवा कर पहले तीन राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास कर रहा है । राष्ट्रीय जलमार्ग - 4 और 5 के विकास के लिए, भा.अं.ज.प्रा. ने वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खंडों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के साथ सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी के अंतर्गत विकसित किए जाने की संभावना को तलाशा है। तद्नुसार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने और फेज़-। में इन राष्ट्रीय जलमार्गों के पहचाने गए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खंडों के विकास के लिए पी पी पी परियोजनाओं को तैयार करने और उनकी प्रक्रिया चलाने के लिए, मार्च 2012 में आर्थिक कार्य विभाग/एशियन डैवलपमैन्ट बैंक द्वारा एक ट्रॉंज़ैक्शन सलाहकार (परामर्शक) नियुक्त किया गया । तथापि, इस अध्ययन के परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं थे । अतः सरकार द्वारा इस विकास को बजटीय सहायता/बाहरी स्रोतों के माध्यम से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन सड़क और रेल की तुलना में आर्थिक रूप से सस्ता है और यह पर्यावरण हितैशी है और बल्क कार्गो के लिए उपयुक्त है । राष्ट्रीय जलमार्ग -1 के माध्यम से हल्दिया (सैंडहैड्स) से एन टी पी सी के फरक्का स्थित ऊर्जा संयंत्र तक 7 वर्षों के लिए आयात किए गए 3 मिलियन टन कोयले के प्रतिवर्ष परिवहन की एक परियोजना कार्यान्वयनाधीन है । भा.अं.ज.प्रा. ने इस प्रकार की और परियोजनाओं की भी पहचान की है जिनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ बाढ़ (पटना के नज़दीक) एन टी पी सी के ऊर्जा संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन, बंगाईगांव (राष्ट्रीय जलमार्ग -2 पर जोगीघोपा के नज़दीक) में अवस्थित एन टी पी सी के ऊर्जा संयंत्र से कोयले का परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्ग -1 पर उर्वरकों का परिवहन और इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों के माध्यम से कोलकाता से त्रिपुरा तक खाद्यान्नों का परिवहन शामिल है । राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्गो संचलन में कोलकाता से बांग्लादेश फ्लाई एश, ओवर डाएमैन्शनल कार्गो तथा अन्य सामान्य कार्गो शामिल हैं । राष्ट्रीय जलमार्ग - 1, 2 और 3 पर रिवर क्रूज़ भी प्रचालित हो रहे हैं ।

*****